

Public Notice

The Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, is in the process of amending the Recruitment Rules of the following posts of Trademark Registry, IP Office, O/o Controller General of Patents, Designs and Trademarks. The details of the posts is as under:-

- (i) Examiner of TM&GI
- (ii) Senior Examiner TM&GI
- (iii) Assistant Registrar TM&GI
- (iv) Deputy Registrar TM&GI
- (v) Joint Registrar TM&GI and
- (vi) Senior Joint Registrar of TM&GI

2. All concerned stakeholders are hereby invited to submit their comments and suggestions regarding the proposed amendments to the above Recruitment Rules. Concise, written comments or suggestion that are specifically relevant to the amendment. These comments and suggestion may be sent to the email addresses dpiit-ipr1@gov.in and ak.gupta38@nic.in. The deadline for submitting comments and suggestions is **one month from the date of publication in the website.**

परीक्षक, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट हेतु भर्ती नियम:
 मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
 व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री और कॉपीराइट कार्यालय

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
01	02	03	04	05	06
परीक्षक, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट	209 (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सरकार सेवा समूह-ख राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर - 7	चयन पद	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख यूपीएससी द्वारा विज्ञापित अनुसार होगी।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की प ति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न प तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
07	08	09	10
अनिवार्य: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री वांछनीय: व्यापार चिह्न अधिनियम या भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम या कॉपीराइट अधिनियम से संबंधित न्यायालयी मामलों अथवा अन्य	नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती से 95% 05% प्रोन्नति द्वारा, जिसके विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

विधिक मामलों को निपटाने का दो वर्ष का अनुभव। नोट 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखब करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखब करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	
11	12	13	
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 6 में ट्रेडमार्क और व्यापार चिह्न सहायक परिक्षक के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और राजीव गांधी राष्ट्रीय बौिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम), नागपुर अथवा कोई अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, जो इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करता है, से समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित व्यापार चिह्न विधि, भौगोलिक संकेत विधि और कॉपीराइट विधि के तकनीकी-न्यायिक पहलुओं में 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: ऐसे कनिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने अर्हता अथवा सेवा की पात्रता पूरी कर ली है और जिनके मामले में प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके साथ अगले उच्च पद पर प्रोन्नति के लिए ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में भी विचार किया जा सकता है, जो सेवा की पात्रता अथवा अर्हता पूरी करते हों तथा जिन्होंने निर्धारित अर्हता या पात्रता सेवा अवधि की न्यूनतम आधी अवधि या दो वर्ष की सेवा, जो भी कम हो, पूरी की हो तथा	विभागीय प्रोन्नति समिति (i) महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न - अध्यक्ष (ii) वरिष्ठ संयुक्त रजिस्ट्रार / संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट - सदस्य (iii) उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट - सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।	

जिन्होंने परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	विभागीय पुष्टीकरण समिति (i) महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न - अध्यक्ष (ii) वरिष्ठ संयुक्त रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट - सदस्य (iii) उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट - सदस्य	
--	--	--

अनुबंध - I

वरिष्ठ परीक्षक, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट हेतु भर्ती नियम:

मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री और कॉपीराइट कार्यालय

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
01	02	03	04	05	06
वरिष्ठ परीक्षक, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट	135 (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा-समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर 10	चयन पद	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख यूपीएससी द्वारा विज्ञापित अनुसार होगी।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधी भर्ती के	परीक्षा की अवधि,	भर्ती की विधि: भर्ती सीधी होगी
---	---------------	------------------	--------------------------------

	लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं ।	यदि कोई हो	या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न प तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
07	08	09	10
अनिवार्य: (i.) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की स्नातक डिग्री (ii.) व्यापार चिह्न अधिनियम या भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम या कॉपीराइट अधिनियम से संबंधित न्यायालयी मामलों या अन्य विधिक मामलों को निपटाने का तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री टिप्पण 1: अन्यथा सुअर्ह उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से छूट दी जाती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखब करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल का जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु: नहीं शैक्षिक योग्यता: हां	1 वर्ष	सीधी भर्ती से 33.33% 66.67% प्रोन्नति द्वारा, जिसके विफल रहने पर सीधी भर्ती द्वारा
प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/		यदि विभागीय प्रोन्नति समिति	भर्ती करने में किन

प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	मौजूद है तो उसकी संरचना	परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट परीक्षक के रूप में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम), नागपुर अथवा कोई अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, जो इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करता है, से समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित व्यापार चिह्न विधि, भौगोलिक संकेत विधि और कॉपीराइट विधि के तकनीकी-न्यायिक पहलुओं में 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: ऐसे कनिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने अर्हता अथवा सेवा की पात्रता पूरी कर ली है और जिनके मामले में प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके साथ अगले उच्च पद पर प्रोन्नति के लिए ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में भी विचार किया जा सकता है, जो सेवा की पात्रता अथवा अर्हता पूरी करते हों तथा जिन्होंने निर्धारित अर्हता या पात्रता सेवा अवधि की न्यूनतम आधी अवधि या दो वर्ष की सेवा, जो भी कम हो, पूरी की हो तथा जिन्होंने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव (आईपीआर-स्था.) डीपीआईआईटी - सदस्य 3. महानियंत्रक-पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न सदस्य विभागीय पुष्टीकरण समिति: 1. अपर सचिव/संयुक्त सचिव (आईपीआर-स्था.), डीपीआईआईटी-अध्यक्ष 2. महानियंत्रक-पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न सदस्य 3. वरिष्ठ संयुक्त रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट- सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अनुबंध - I

सहायक रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट हेतु भर्ती नियम:

मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री और कॉपीराइट कार्यालय

पद	का	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।
----	----	-----------	----------	--------------------	-----------	-----------------------------

नाम			वेतन स्तर	अथवा अचयन पद	
01	02	03	04	05	06
सहायक रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट	69 (2025) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह-क, राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर - 11	चयन पद	40 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच साल तक की छुट।) नोट: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित के अनुसार होगी

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	सीधी भर्ती/प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती और रिक्ति का प्रतिशत
07	08	09	10
अनिवार्य: (i.) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री (ii.) वकालत के पेशे (बार) में पांच वर्ष का अनुभव हो अथवा व्यापार चिह्न अधिनियम या भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम या कॉपीराइट अधिनियम से संबंधित मामलों के निपटान में पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि या बौद्धिक संपदा अधिकार में मास्टर डिग्री हो और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शोध संस्थान से कानून में शोध करने या विधि शिक्षण में तीन वर्ष का अनुभव।	आयु: नहीं। शैक्षिक योग्यता: हां	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	सीधी भर्ती से 25% 75% प्रोन्नति द्वारा, जिसके विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा

वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बौद्धिक संपदा अधिकार में पीएचडी टिप्पण 1: अन्यथा सुअर्ह उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से छूट दी जाती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखब करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल का जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
--	--	--	--

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट के वरिष्ठ परीक्षक के रूप में इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण: ऐसे कनिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने अर्हता अथवा सेवा की पात्रता पूरी कर ली है और जिनके मामले में प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, उनके साथ अगले उच्च पद पर प्रोन्नति के लिए ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में भी विचार किया जा सकता है, जो सेवा की पात्रता अथवा अर्हता पूरी करते हों तथा जिन्होंने निर्धारित अर्हता या पात्रता सेवा अवधि की न्यूनतम आधी अवधि या दो वर्ष की सेवा, जो भी कम हो, पूरी की हो तथा जिन्होंने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. अपर सचिव/संयुक्त सचिव (आईपीआर-स्था.), डीपीआईआईटी - अध्यक्ष 2. महानियंत्रक-पेटेंट, डिजाइन और व्यापार	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

	चिह्न सदस्य 3. वरिष्ठ संयुक्त रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट - सदस्य विभागीय पुष्टीकरण समिति: 1. अपर सचिव/संयुक्त सचिव (आईपीआर-स्था.), डीपीआईआईटी-अध्यक्ष 2. पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक - सदस्य। 3. वरिष्ठ संयुक्त रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट-सदस्य	
--	---	--

अनुबंध-I

भर्ती नियम:- उप रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट
मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री और कॉपीराइट कार्यालय

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
01	02	03	04	05	06
उप रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट	50 (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह, क राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर - 12	चयन पद	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल का जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की प ति, सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा होगी और विभिन्न प तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
07	08	09	10
अनिवार्य (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री (ii) अदालत में दस वर्ष कार्य करने का अनुभव या व्यापार चिह्न अधिनियम या भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम या कॉपीराइट अधिनियम	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: हां	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	20% सीधी भर्ती द्वारा 80% प्रोन्नति द्वारा, जिसके विफल होने पर सीधी भर्ती के द्वारा।

से संबंधित मामलों से निपटने का या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में विधि के शिक्षण का दस वर्ष का अनुभव या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री के साथ विधि के शिक्षण का आठ वर्ष का अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान में विधि में अनुसंधान करने। वांछनीय: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बौिक संपदा अधिकार में पीएचडी टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में , उनके लिए जो कारण है उन्हें लेखब करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता, उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखब करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे श्रेणियां जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	
11	12	13	
प्रोन्नति: सहायक रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में हो और उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो और व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट विधि के तकनीकी-विधि पहलुओं के संबंध में में 4 सप्ताह के प्रशिक्षण तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय बौिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) नागपुर या इस	विभागीय प्रोन्नति समिति । (1) अपर सचिव/संयुक्त सचिव (आईपीआर-स्था.), डीपीआईआईटी -	सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।	

तरह का प्रशिक्षण प्रदान करने वाले किसी अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थान में समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रशासनिक कार्य संबंधी प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। <u>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :</u> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर स श पद धारण किए हुए हैं या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन-मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर, नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की है और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री (ii) न्यायालय के मामलों या स्थापना / प्रशासनिक मामलों में दस वर्ष का अनुभव। वांछनीय - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में या बौद्धिक संपदा अधिकार में मास्टर डिग्री	अध्यक्ष। (2) महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न आईपीआर - सदस्य (3) वरिष्ठ संयुक्त रजिस्ट्रार/ संयुक्त रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट - सदस्य। विभागीय समिति: पुष्टिकरण 1. अपर सचिव/संयुक्त सचिव (आईपीआर-स्थापना), डीपीआईआईटी-अध्यक्ष 2. महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न - सदस्य। 3. वरिष्ठ संयुक्त रजिस्ट्रार/ संयुक्त रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट - सदस्य	
--	--	--

टिप्पण.1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

अनुबंध- I

भर्ती नियम: - संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट

मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री और कॉपीराइट कार्यालय

पद का नाम	पदों का संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
01	02	03	04	05	06
संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट	08 (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह, क राजपत्रिक अननुसचिवीय	स्तर- 13	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की प ति सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा होगी
---	--	-------------------------------	---

	व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		और विभिन्न प तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
07	08	09	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे श्रेणियां जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
उप रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में हो और उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या	विभागीय प्रोन्नति समिति (1) . अपर सचिव/संयुक्त सचिव (आईपीआर-स्थापना), डीपीआईआईटी - अध्यक्ष। (2) . महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न - सदस्य (3) वरिष्ठ संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: - (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर स श पद धारण किए हुए हैं या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन-मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर, नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की है और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है: अनिवार्य: - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री (ii) न्यायालय के मामलों या स्थापना/प्रशासनिक मामलों में बारह वर्ष का अनुभव। वांछनीय- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि या बौद्धिक संपदा अधिकार में मास्टर डिग्री टिप्पण.1: टिप्पण.1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी		
--	--	--

अनुबंध - I

भर्ती नियम: - वरिष्ठ संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट

मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री और कॉपीराइट कार्यालय

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
01	02	03	04	05	06
वरिष्ठ संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट	01 (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह, क राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर - 13 क	चयन	लागू नहीं होता
सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की प ति, सीधी भर्ती द्वारा होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा होगी, और विभिन्न प तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
07			08	09	10
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है।
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे श्रेणियां जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।			यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना क्या है		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11			12		13

प्रोन्नति: संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन और कॉपीराइट जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में हो और उस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर स श पद धारण किये हुए हैं या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में पदों में या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए उस ग्रेड में दो वर्ष की सेवा और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री	विभागीय प्रोन्नति समिति 1. अपर सचिव/संयुक्त सचिव (आईपीआर-स्थापना), डीपीआईआईटी-अध्यक्ष 2. महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न - सदस्य। 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), वाणिज्य विभाग-सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।
--	--	---

(ii) न्यायालय के मामलों या स्थापना/प्रशासनिक मामलों में पंद्रह वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बौद्धिक संपदा में पीएचडी

टिप्पण.1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ANNEXURE – I

RECRUITMENT RULES FOR: EXAMINER OF TRADE MARKS, GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND COPYRIGHTS. IN MINISTRY: MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

TRADE MARKS REGISTRY, GEOGRAPHICAL INDICATIONS REGISTRY & COPYRIGHT OFFICE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether selection post or Non – selection post.	Age limit for direct recruitment
01	02	03	04	05	06
Examiner of Trade Marks, Geographical Indications and Copyrights	209 (2025) *Subject to variation dependent of workload	General Central Service Group, B Gazetted Non-Ministerial	Level - 7	Selection Post	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the UPSC

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
07	08	09	10
Essential: Bachelors' Degree in Law from a recognised University Desirable: Two years' experience in handling court cases or other legal matters or matters relating to Trademark Act or Geographical indications Act or Copyright Act. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be	No	2 Years	95 % by direct recruitment. 05 % by promotion failing which by direct recruitment

recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage or selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
11	12	13	
Promotion: Assistant Examiner of Trade Marks & Geographical Indications in the level – 6 in the Pay Matrix with five years' regular service in the grade and having successfully completed 4 weeks of training in Techno-legal aspects of Trade Marks law, Geographical Indication law & Copyright law as prescribed by the competent authority from time to time from Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management(RGNIIPM), Nagpur or any other Government Training Institute imparting such training. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (i) Controller General of Patents, Designs and Trademarks - Chairman (ii) Senior Joint Registrar /Joint Registrar Trademarks, Geographical Indications & Copyrights - Member (iii) Deputy Registrar/Assistant Registrar of Trademarks, Geographical indications and Copyrights – Member Departmental Confirmation Committee (i) Controller General of Patents, Designs and Trademarks - Chairman (ii) Senior Joint Registrar / Joint Registrar of Trademarks, Geographical Indications & Copyrights - Member (iii) Deputy Registrar /Assistant Registrar of Trademarks, Geographical indications & Copyrights – Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.	

RECRUITMENT RULES FOR: SENIOR EXAMINER OF TRADE MARKS, GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND COPYRIGHTS.
IN MINISTRY: MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

TRADE MARKS REGISTRY, GEOGRAPHICAL INDICATIONS REGISTRY & COPYRIGHT OFFICE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether selection post or Non - selection post.	Age limit for direct recruitment
01	02	03	04	05	06
Senior Examiner of Trademarks, Geographical Indications and Copyrights	135 (2025) *Subject to variation dependent of workload	General Central Service Gazetted Group 'A' Non Ministerial	Level 10	Selection Post	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the UPSC.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
07	08	09	10
Essential: (i.) Bachelors' Degree in law from a recognised University (ii.) Three years' experience in handling Court cases or other legal matters or matters relating to Trademark Act or Geographical indications Act or Copyright Act. Desirable: (i) Master's Degree in Law from a recognised University	Age : No Educational Qualifications : Yes	1 Year	33.33 % by direct recruitment. 66.67 % By promotion failing which by direct recruitment

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage or selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
In case of recruitment by promotion or Deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
11	12	13	
Promotion: Examiner of Trade Marks, Geographical Indications & Copyright in the level 7 of the Pay Matrix with three years' regular service in the grade and having successfully completed 4 weeks of training in Techno-legal aspects of Trade Marks law, Geographical Indication law & Copyright law as prescribed by the competent authority from time to time from at Rajiv Gandhi National institute of Intellectual Property Management (RGNIIPM), Nagpur or any other Government training Institute imparting such training. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee: 1. Chairman/Member, UPSC - Chairman 2. Additional Secretary/Joint Secretary (IPR-Estt) DPIIT - Member 3. Controller General of Patents, Designs and Trademarks- Member Departmental Confirmation Committee: 1. Additional Secretary/ Joint Secretary (IPR-Estt), DPIIT-Chairman 2. Controller General of Patents, Designs and Trademarks - Member 3. Senior Joint Registrar / Joint Registrar of Trademarks, Geographical Indications & Copyrights - Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making Direct recruitment and Promotion.	

ANNEXURE – I

RECRUITMENT RULES FOR: ASSISTANT REGISTRAR OF TRADE MARKS, GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND COPYRIGHTS.

IN MINISTRY: MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

TRADE MARKS REGISTRY, GEOGRAPHICAL INDICATIONS REGISTRY & COPYRIGHT OFFICE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether selection Post or Non-selection post.	Age limit for direct recruitment.
01	02	03	04	05	06
Assistant Registrar of Trademarks, Geographical Indications and Copyrights	69 (2025) *Subject to variation dependent of workload	General Central Service Group, A Gazetted Non-Ministerial	Level - 11	Selection Post	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the UPSC

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancy to be filled by various methods
07	08	09	10
Essential: (i.) Bachelor's Degree in Law from a recognised University (ii.) Five years practice at a Bar or Five years' experience in dealing with matters related to Trademarks Act or Geographical indications Act or Copyright Act. OR Master's Degree in Law or Intellectual Property Rights from a recognised university with three years' experience in teaching law or in conducting research in law in a recognised University or Research institution. Desirable: Ph.D In Intellectual Property Rights from a Recognised University	Age: No. Educational qualification: Yes	One year for direct recruits.	25% by Direct recruitment 75% Promotion failing which by direct recruitment

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage or selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion / Deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Senior Examiner of Trade Marks, Geographical Indications & Copyrights in the Level 10 of the Pay Matrix with five years' regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee: 1. Additional Secretary/Joint Secretary (IPR-Estt), DPIIT - Chairman 2. Controller General of Patents, Designs and Trademarks- Member 3. Senior Joint Registrar / Joint Registrar of Trademarks, Geographical Indications & Copyrights - Member Departmental Confirmation Committee:	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making Direct recruitment.

	1. Additional Secretary/ Joint Secretary (IPR-Estt), DPIIT-Chairman 2. Controller General of Patents, Designs and Trademarks – Member. 3. Senior Joint Registrar / Joint Registrar of Trademarks, Geographical Indications & Copyrights - Member	
--	---	--

ANNEXURE – I

RECRUITMENT RULES FOR: **DEPUTY REGISTRAR OF TRADE MARKS, GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND COPYRIGHTS.**
 IN MINISTRY: MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

TRADE MARKS REGISTRY, GEOGRAPHICAL INDICATIONS REGISTRY & COPYRIGHT OFFICE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether selection post or Non – selection post.	Age limit for direct recruitment
01	02	03	04	05	06
Deputy Registrar of Trademarks, Geographical Indications and Copyrights	50 (2025) *Subject to variation dependent of workload	General Central Service Group, A Gazetted Non-Ministerial	Level - 12	Selection Post	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the UPSC

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
07	08	09	10
<u>Essential</u> (i) Bachelor's Degree in Law from a Recognized University (ii) Ten years practice at a Bar or Ten years' experience in dealing with matters related to Trademark Act or Geographical Indications Act or Copyright Act or in teaching law in a recognised University OR (ii) Master's Degree in Law from a recognised University with eight years' experience in teaching law or in conducting research in law in a recognised University or research institution. Desirable: (i) Ph.D in Intellectual Property Rights from a Recognised University Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Age : No Educational Qualification: Yes	One year for direct recruits	20% by Direct recruitment 80% Promotion failing which by direct recruitment.

Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage or selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
11	12	13	
Promotion: Assistant Registrar of Trademarks, Geographical Indications & Copyright in the Level 11 of the Pay Matrix with five years’ regular service in the grade and having successfully completed 4 weeks of training in Techno-legal aspects of Trade Marks, Geographical Indication and Copyright law and training of Administrative Function as prescribed by the competent authority from time to time at Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management (RGNIIPM) Nagpur or any other Government training institute imparting such training. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. <u>Deputation(including short term contract):</u> Officers under the Central Government or State Governments or Union Territory Administration or Recognised Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Autonomous or Statutory Organisations:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department OR (ii) with five years’ service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts in Pay Level -11 of Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department and	Departmental Promotion Committee. (1).Additional Secretary/Joint Secretary (IPR-Estt), DPIIT – Chairman. (2) Controller General of Patents, Designs and Trademarks. IPR – Member (3) Senior Joint Registrar / Joint Registrar of Trademarks, Geographical Indications & Copyrights - Member. Departmental Confirmation Committee: 1.Additional Secretary/ Joint Secretary (IPR-Estt), DPIIT- Chairman	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for Direct recruitment.	

(b) possessing the following educational qualifications and experience. (i) Bachelor's Degree in Law from a recognised University (ii) Ten years' experience in Court matters or Establishment/Administrative matters. Desirable: - Master's Degree in Law or in Intellectual Property Rights from a recognised University Note .1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract). Similarly, deputationist(s) shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note.2: Period of deputation including period of deputation(including short term contract) in another contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application	2. Controller General of Patents, Designs and Trademarks – Member. 3. Senior Joint Registrar / Joint Registrar of Trademarks, Geographical Indications & Copyrights - Member	
---	--	--

ANNEXURE – I

RECRUITMENT RULES FOR: JOINT REGISTRAR OF TRADE MARKS, GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND COPYRIGHTS.
IN MINISTRY: MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

TRADE MARKS REGISTRY, GEOGRAPHICAL INDICATIONS REGISTRY & COPYRIGHT OFFICE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruitment
01	02	03	04	05	06
Joint Registrar of Trademarks, Geographical Indications and Copyrights	08 (2025) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group, A Gazetted Non-Ministerial	Level - 13	Selection	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
07	08	09	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation including short term contract

In Case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Deputy Registrar of Trade Marks, Geographical Indications & Copyright in the Level 12 of the Pay Matrix with five years' regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully	Departmental Promotion Committee (1). Additional Secretary/Joint Secretary (IPR-Estt), DPIIT – Chairman.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union Territory Administration or Recognised Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Autonomous or Statutory Organisations: - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department OR (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in level 12 of the Pay Matrix or equivalent in the Parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: Essential:- (i) Bachelors' Degree in Law from a Recognized University (ii) Twelve years' experience in Court matters or Establishment/Administrative matters. Desirable:- Master's Degree in Law or in Intellectual Property Rights from a recognised University Note .1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract). Similarly, deputationist(s) shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note.2: Period of deputation including period of deputation(including short term contract) in another contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	(2). Controller General of Patents Designs and Trademarks – Member (3) Senior Joint Registrar of Trademarks, Geographical Indications & Copyrights - Member	
---	---	--

ANNEXURE – I

RECRUITMENT RULES FOR: SENIOR JOINT REGISTRAR OF TRADE MARKS, GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND COPYRIGHTS.

IN MINISTRY: MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

TRADE MARKS REGISTRY, GEOGRAPHICAL INDICATIONS REGISTRY & COPYRIGHT OFFICE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruitment
01	02	03	04	05	06
Senior Joint Registrar of Trademarks, Geographical Indications and Copyrights	01 (2025) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group, A Gazetted Non -Ministerial	level - 13 A	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
07	08	09	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation (including short term contract)

In Case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Joint Registrar of Trade Marks, Geographical Indications & Copyright in level 13 of Pay Matrix with two years regular service in the grade.	Departmental Promotion Committee	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union Territory Administration or Recognised Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Autonomous or Statutory Organisations:- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department Or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the posts in level 13 of Pay Matrix or equivalent in parent cadre or department and (b) possessing the following educational qualifications and experience. Essential: (i) Bachelors' Degree in Law from a Recognized University (ii) Fifteen years' experience in Court matters or Establishment /Administrative matters. Desirable:- Ph.D in Intellectual Property from a recognised University Note .1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract). Similarly, deputationist(s) shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note.2: Period of deputation including period of deputation(including short term contract) in another contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation	1. Additional Secretary/Joint Secretary(IPR-Estt), DPIIT - Chairman 2. Controller General of Patents, Designs and Trademarks – Member. 3.Joint Secretary (Administration), Department of Commerce-Member	
--	---	--

(including short-term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

--	--